न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 358/2017/223 आरटीए

1. मलकीत सिंह पुत्र करतारसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 5 टीएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. छमीन्द्र सिंह पुत्र गुरदीपसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 5 टीएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्टस

–: बनाम :–

1. मु0 चरणकौर पत्नि गजनसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 5 टीएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. साहबराम पुत्र श्योदत जाति जाट निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. लच्छीराम पुत्र श्योदत जाति जाट निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. रणवीर पुत्र श्योदत जाति जाट निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. सोहनसिंह पुत्र अंतरसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 5 टीएलडब्ल्यू तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. गजनसिंह पुत्र अंतरसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 5 टीएलडब्ल्यू तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. मगी देवी पत्नि स्व. कृष्णराम जाति जाट निवासी चक 1 आरके राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. शीशपाल पुत्र स्व. कृष्णराम जाति जाट निवासी चक 1 आरके राठीखेडा तहसील टिबबी जिला हनुमानगढ़।
9. सुशीला पत्नि राजकुमार डूडी पुत्री स्व. कृष्णराम जाति जाट निवासी पन्नीवाला मोटा तहसील व जिला सिरसा।
10. सुमन पत्नि इन्द्राज तेतरवाल पुत्री स्व0 कृष्णराम जाति जाट निवासी गांव गिन्दड तहसील रानिया जिला सिरसा।
11. गुड्डी देवी पत्नि स्व. इन्द्राज जाति जाट निवासी चक 1 आरके राठीखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
12. कुलदीप पुत्र स्व. इन्द्राज जाति जाट निवासी चक 1 आरके राठीखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
13. अजय पुत्र स्व. इन्द्राज जाति जाट निवासी चक 1 आरके राठीखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
14. कान्ता पत्नि अनूप भाम्भू पुत्री स्व. इन्द्राज जाति जाट निवासी निरवाण तहसील व जिला सिरसा।
15. बेबी पत्नि गोविन्द भाम्भू पुत्री स्व. इन्द्राज जाति जाट निवासी निरवाण तहसील व जिला सिरसा।
16. स्वर्ण कौर पत्नि स्व. जीतसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 5 टीएलडब्ल्यू तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
17. अवतारसिंह पुत्र स्व. जीतसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 5 टीएलडब्ल्यू तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
18. गुरमीत कौर पत्नि सुखविन्द्र सिंह पुत्री स्व. जीतसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 3 टीएलडब्ल्यू तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19. जसविन्द्रकौर पत्नि करनैलसिंह पुत्री स्व. जीतसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी वार्ड नं. 20 टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
20. बलजीत कौर पत्नि कश्मीर सिंह पुत्र स्व. जीतसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 4 ईई पदमपुन तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
21. यशविन्द्र कौर पत्नि जगदेवसिंह पुत्री स्व. जीतसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी सतनामसिंह चौक के पास सिरसा तहसील व जिला सिरसा।
22. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

—रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.04.2013 व डिक्री दिनांक 09.04.2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर टिब्बी प्र0सं0 72/2010 अनवानी चरणकौर बनाम साहबराम आदि

उपस्थित :—
श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता अपीलाण्टस
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 6
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 22

निर्णय दिनांक —16.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आरटीए सपठित धारा जनरल कॉलोनी कण्डीशन 8 (2) राज0 कोलो0 एक्ट एवं 136 एलआर एक्ट प्रस्तुत कर चक 5 टीएलडब्ल्यू के प.न. 230/286 कि.न. 1/0.253, प.न. 223/287 कि.न. 25/0.253, प.न. 222/287 कि.न. 25/0.215, कुल 0.721 है0 मे वादिया प.न. 222/287 कि.न. 25/0.215 है0 की खातेदार घोषित करवाने का अनुतोष चाहा तथा उक्त कि.न. 25 मे 0.038 है0 गैरमुमकिन रास्ता को कलमजन कर कुल 0.215 है0 को मुमकिन नाली प्रथम दर्ज करने का अनुतोष भी चाहा। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र स्वीकार किया कर डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तलवाडाझील व चक 5 टीएलडब्ल्यू के काश्तकार के कि.न. 25 मे 0.038 है0 भूमि जो की रास्ता की भूमि है, का रेस्पो0 सं. 1 को खातेदार घोषित करने का निर्णय व डिक्री कतई गलत व विधिविरूद्ध पारित की है। चक 5 टीएलडब्ल्यू के प.न. 222/287 कि.न. 25 मे दक्षिणी और 0.038 है0 रास्ता अर्सा 50 वर्ष पूर्व से चला आ रहा है तथा राजस्व रिकार्ड मे भी 0.038 है0 रास्ता दर्ज है। उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता है तथा इस रास्ता से तलवाडाझील के ग्रामवासी व चक 5 टीएलडब्ल्यू के काश्तकार जिनकी ढाणियां भी बनी हुई है, इस रास्ता से आवागमन करते है। उक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय को रास्ता निरस्त करने से पूर्व सार्वजनिक नोटिस जारी करना चाहिए था व अपीलांट को सुने बिना आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है। कानूनन रास्ता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की भूमि को खातेदारी घोषित नही किया जा सकता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कानून खिलाफ अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 सं. 9 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र का घोर विरोध किया है तथा कथन भी किये कि कि.न. 25 मे रास्ता स्वीकृत व चालू है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 सं. 9 के जवाबदावा को रिकार्ड पर नही लिया तथा न ही जवाबदावा के आधार पर विवादक विरचित किये बल्कि पत्रावली वास्ते पेश होने जवाबदावा मे चलती रही व दिनांक 05.02.2013 को पीठासीन अधिकारी न होने के कारण पत्रावली मे आगामी तारीख 19.03.2013 मुकर्रर की व दिनांक 19.03.2013 के पश्चात कोई भी तारीख मुकर्रर नही हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 02.04.2013 को अपीलाधीन निर्णय एवं दिनांक 09.04.2013 को अपीलाधीन डिक्री पारित की जो कतई गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तारीख मुकर्रर किये दिनांक 30.03.2013 को रेस्पो0 सं. 1 का एकपक्षीय रूप से साक्ष्य शपथ पत्र लेकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि दिनांक 30.03.2013 हेतु पत्रावली मुकर्रर ही नही थी।

4. रेस्पो0 सं. 1 ने सन् 2009 मे प्रश्नगत रास्ता को बन्द कर दिया था, जिसे दिनांक 22.12.09 को सक्षम अधिकारी द्वारा खुलवाया गया तत्पश्चात रेस्पो0 सं. 1 द्वारा पुनः रास्ता बन्द करने पर तुरन्त ही दिनांक 12.05.2010 को रास्ता खुलवाया गया। इसके पश्चात रेस्पो0 सं. 1 ने पुनः रास्ता बन्द कर दिया जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा तुरन्त दिनांक 28.05.2014 को खुलवाया गया जो इस तथ्य को बखूबी साबित करते है कि प्रश्नगत रास्ता अर्सा कदीम से चला आ रहा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस रास्ता के संबंध मे मौका की कोई रिपोर्ट न मंगवाकर कानूनी भूल की है। रेस्पो0 सं. 1 ने अपने वादपत्र मे विभाजन का भी अनुतोष चाहा था उक्त परिस्थितियों मे वादपत्र मे प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर व तहसीलदार राजस्व से विभाजन प्रस्ताव लिया जाकर तत्पश्चात अन्तिम डिक्री जारी की जानी चाहिए थी। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से लिया जाता तो रास्ता को मद्देनजर रखते हुए अन्तिम डिक्री पारित की जाती लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने नियम 18 से 21 की पालना न कर सीधे ही विभाजन की डिक्री पारित की है जो अपास्त होने योग्य है। रेस्पो0 ने अपने वादपत्र मे विरोधाभासी कथन किये है। रेस्पो0 सं. 1 ने जनरल कॉलोनी कण्डीशन 8(2) राज0 कॉलोनाईजेशन एक्ट का भी अनुतोष चाहा है। प्रथमतः तो सहायक कलैक्टर के क्षेत्राधिकार का नही था, द्वितीय रास्ता निरस्त के प्रकरण मे तहसीलदार से मौका की रिपोर्ट ली जानी आज्ञापक है। आरआरटी 2016(2) के अनुसार धारा 88 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत गैर मुमकिन रास्ता राज्य सरकार की सम्पति है। धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सार्वजनिक उपयोग की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। गैरमुमकिन रास्ता सामान्यजन के उपयोग तथा उपभोग की सम्पति है जिसकी मालिक राज्य सरकार है। सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग मे किसी भी प्रकार से कोई बाधा अथवा अड़चन पैदा की जाती है तो सामान्यजन व्यथित पक्षकार है तथा न्यायिक प्रक्रिया के तहत अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। इस प्रकरण मे अपीलांट/रेस्पो0 सामान्यजन है। उसे धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त की जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 सं. 1 की भूमि प.न. 222/287 मु.न. 49 कि. न. 25 तादादी 0.215 है0 भूमि मे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से 0.038 है0 गैरमुमकिन रास्ता के अंकन को जरिये घोषणा दुरूस्त करने का निर्णय पारित किया है, इस निर्णय से अपीलांट किसी भी प्रकार से व्यथित नही हो सकते। अपीलांट को रेस्पो0 सं. 1 स्वयं की खातेदारी भूमि मे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये गलत इन्द्राज को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दुरूस्त किये जाने से अपीलांट को कोई पीड़ा नही हो सकती। रेस्पो0 सं. 1 की खातेदारी भूमि प.न. 222/287 मु.न. 49 कि.न. 25 जो मौका पर 0.215 है0 ही है, मे से कथित रूप से 0.038 है0 रास्ता कभी भी नही रहा। राजस्थान उपनिवेशन विभाग की पर्चा खतौनी मे भी उक्त कि.न. 25 की 0.215 है0 खालिस भूमि राजस्व अभिलेख मे दर्ज रही है तथा किला की शेष 0.038 है0 राजस्थान कैनाल मे अवाप्त हुई है। अपीलांट की उक्त भूमि मे यदि उपनिवेशन विभाग अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा 0.038 है0 रास्ता स्वीकृत किया हुआ होता तो निश्चित रूप से पर्चा खतौनी मे कि.न. 25 का इन्द्राज 14 बिस्वा मुमकिन व 3 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता दर्ज होता। लेकिन पर्चा खतौनी मे उक्त किला नं. 25 मुमकिन 17 बिस्वा दर्ज है। इस तथ्य के समर्थन मे राजस्थान उपनिवेशन विभाग द्वारा तैयार की गई गांव राठीखेडा चक 2 जीजीआर की पर्चा खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी रास्ता की भूमि मे रेस्पो0 सं. 1 को खातेदारी अधिकार प्रदत नही किये बल्कि बिना सक्षम अधिकारी द्वारा रास्ता स्वीकृत हुये भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई गलत व विधि विरूद्ध प्रविष्टि को दुरूस्त करते हुये चक 2 जीजीआर के प.न. 222/287 मु.न. 49 के कि.न. 25 की कुल 215 है0 भूमि रेस्पो0 सं. 1 की खातेदारी घोषित की गई तथा यह निर्णय कतई तौर पर विधि सम्मत है। अपीलांट का यह कथन कतई झूठ है कि वे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से विपरीत रूप से प्रभावित हये

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

है। मौका पर प.न. 222/288 मु.न. 50 कि.न. 4 व 5 मे रास्ता विद्यमान है जो पूर्व दिशा की ओर से स्वीकृत रास्ता की सीध मे मौका पर चालू है। वस्तुतः अपीलांट ने कि.न. 4 व 5 के खातेदारो से मिलीभगत कर रखी है तथा अपने प्रभाव का अनुचित प्रयोग करते हुये व रेस्पो0 सं. 1 के वृद्ध व औरतजात होने का अनुचित फायदा उठाते हुये कि.न. 5 मे चल रहे रास्ता को कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से रेस्पो0 सं. 1 की भूमि कि.न. 25 मे होने का मिथ्या अभिवाक ले रहे है तथा उक्त कि.न. 5 के खातेदार से मिलीभगत कर कि.न. 5 मे चल रहे रास्ता को अवरूद्ध किया है। उक्त कि.न. 5 व 4 मे रास्ता स्वीकृत करवाये जाने हेतु प्रकरण सं. 43/2017 शीर्षक सतनाम सिंह बनाम प्रदीप कुमार आदि विचाराधीन है। इन परिस्थितियों मे अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से किसी भी प्रकार से प्रभावित नही है तथा उन्हे बतौर तृतीय पक्षकार यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। अधिवक्ता अपीलांट दफा 96 सीपीसी के संबंध मे न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1992 पेज 682, आरआरडी 1990 पेज 689, आरआरडी 2009 पेज 636 प्रस्तुत किये। इसलिये प्रथमतया धारा 96 के प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य के कारण अपील इसी स्तर पर खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6. रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा धारा 96 सीपीसी के संबंध मे न्यायिक दृष्टांत 1990 आरआरडी पेज 689, 1992 आरआरडी पेज 682, 2009 आरआरडी पेज 636 प्रस्तुत करते हुए तर्क किया कि अपीलांट ना तो प्रभावित पक्षकार है और ना ही अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के अधिकारो का हनन हुआ है। इसलिये अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से किसी प्रकार से प्रभावित नहीर होने के कारण बतौर तृतीय पक्षकार यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नही है। इन परिस्थितियों मे अपील अपीलांट धारा 96 सीपीसी पर ही खारिज होने योग्य है।

7. अपीलांट के अभिभाषक द्वारा धारा 96 सीपीसी के संबंध मे आरआरटी 2016(2) पेज 998 माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत गैर मुमकिन रास्ता राज्य सरकार की सम्पति है। धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। गैर मुमकिन रास्ता सामान्यजन के उपयोग तथा उपभोग की सम्पति है जिसकी मालिक राज्य सरकार है। सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग मे किसी भी प्रकार से कोई बाधा अथवा अड़चन पैदा की जाती है तो सामान्यजन व्यथित पक्षकार है तथा न्यायिक प्रक्रिया के तहत अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिये अपीलांट सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग रास्ता के निरस्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होने के कारण प्रभावित पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी भी है। ऐसी स्थिति मे धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है तथा अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र मे पक्षकार नही होने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान अपीलांट को नही था इसलिये अपील प्रस्तुति मे हुये विलम्ब को माफ कर अपील ज्ञान से अन्दर मियाद शुमार की जावें। उक्त न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष है कि हस्तगत प्रकरण मे रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत कर चक 5 टीएलडब्ल्यू के प.न. 230/286 कि.न. 1/0.253, प.न. 223/287 कि.न. 25/0.253, प.न. 222/287 कि.न. 25/0.215 कुल 0.721 है0 मे प.न. 222/287 कि.न. 25/0.215 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के साथ साथ उक्त कि.न. 25 मे 0.038 है0 गैरमुमकिन रास्ता की प्रविष्टि को कलमजन करवाने भी अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र रेस्पो0/वादिया डिक्री किया गया। जबकि कि.न. 25/0.215 है0 मे से 0.038 है0 गैर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है तथा पत्रावली मे उपलब्ध नक्शा से यह ज्ञात होता है कि यह रास्ता सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग का है। उक्त कि.न. 25 मे स्वीकृतशुदा रास्ता आगे नहर की पटरी से मिलता है और चक 5 टीएलडब्ल्यू के पत्थर लाईन 288 की लाईन पर पूर्व दिशा मे सभी मुरब्बो मे कि.न. 1 ता 5 मे रास्ता स्वीकृत है व रास्ता चालू भी है। रास्ता निरस्त करने से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट आदि भी प्राप्त नही की और ना ही रास्ता निरस्त करने के संबंध मे तहसीलदार द्वारा स्पष्ट अनुशंषा भी नही की गई। इस प्रकार बिना प्रभावित पक्षकार को सुने एवं बिना रास्ता संबंधी रिपोर्ट प्राप्त किये मात्र रेस्पो0 के कथनो के आधार पर प्रश्नगत स्वीकृतशुदा रास्ता को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये निरस्त किया गया है जिसकी पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

9. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.04.2013 व डिक्री दिनांक 09.04.2013 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को बतौर पक्षकार संयोजित करते हुए प्रश्नगत रास्ता से प्रभावित पक्षकार को बतौर पक्षकार संयोजित किया जाकर पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.09.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official